

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

17/6/26

विषय- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 कुल ₹ 69,30,068/- (उनहत्तर लाख तीस हजार अड़सठ रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृति।

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 69,30,068/- (उनहत्तर लाख तीस हजार अड़सठ रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क	भवन प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	अधियाचना आई०डी०संख्या	प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या/ दिनांक	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	भवन प्रमंडल, सासाराम	Repair work of Babu Jagiwan Ram Welfare hostel Dehri Sasaram	31343	115/ 04.09.24	₹18,60,699/- (अठारह लाख साठ हजार छः सौ निन्यानवे रुपये)
2	भवन प्रमंडल, जमुई	Renovation work of Govt. Ambedkar Welfare Hostel K.K.M collage jamui	31569	215/ 29.01.25	₹12,77,395/- (बारह लाख सतहत्तर हजार तीन सौ पंचानवे रुपये)
3	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	S/R work of Ambedkar Welfare ST/SC Hostel in Campus of UR Rosera in Samastipur	30573	94/ 25.06.25	₹6,40,528/- (छः लाख चालीस हजार पाँच सौ अठाईस रुपये)
4	भवन प्रमंडल, आरा	Renovation of Ambedkar Kalyan Hostel at Maulabag, Ara	32288	123/ 25.07.25	₹31,51,446/- (इकतीस लाख इक्यावन हजार चार सौ छियालीस रुपये)
कुल योग:-					₹69,30,068/-

(उनहत्तर लाख तीस हजार अड़सठ रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-053-रख रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0014-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु विपत्र कोड-03-2059600530014 के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0014.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 5576 (1)

पटना, दिनांक- 17/6/26

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, संबंधित/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 5576 (1)

पटना, दिनांक- 17/6/26

प्रतिलिपि-सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, संबंधित/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर एवं आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।